

# राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ

राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 सैल

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी सैल / 2008 / 33

दिनांक : 18.06.08


समस्त

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा0)

राजस्थान

**विषय :-** गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत दर्ज परिवाद (मुकदमे) में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के काम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के विभिन्न जिलों में समुचित प्राधिकारियों द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत दर्ज कराये गये परिवाद (मुकदमे) न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन है। इन परिवादों (मुकदमों) में संबंधित उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा0) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जो कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत दर्ज कराये गये परिवाद (मुकदमों) में मासिक रूप से वस्तुस्थिति रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करेंगे। यह आदेश सक्षम स्वीकृति उपरान्त प्रसारित किये जा रहे हैं।




निदेशक (प0क0) 18/6/08

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव (प0क0) एवं मिशन निदेशक (एनआरएचएम), जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।



निदेशक (प0क0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर